संख्या-41/2022/466/सैंतीस-2-2022-1(9)/2019टीसी

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 अप्रैल, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लेखानुदान अवधि हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-04/बजट/29(5)/30/14/2022-23, दिनांक-04.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-03-राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-2127.59 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख उन्सठ हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	896.22
02-मजदूरी	205.67
03-मंहगाई भत्ता	331.60
04-यात्रा व्यय	5.33
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.67
06-अन्य भत्ते	0.12
08-कार्यालय व्यय	4.99
09-विद्युत देय	55.35
10-जलकर/जलप्रभार	1.17
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.93
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	5.88
13-टेलीफोन पर व्यय	1.05
15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	28.67
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.30
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	0.88
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	30.83
29-अनुरक्षण	21.73
39-औषधि तथा रसायन	12.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40-औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	0.13
42-अन्य व्यय	5.85
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	480.08
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.67
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.58
49-चिकित्सा व्यय	4.67
51-वर्दी व्यय	0.07
55-मकान किराया भत्ता	17.82
योग-	**2127.59**

(रूपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख उन्सठ हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में न जमा किया जाय।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरण हेतु संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। धनराशि के आवंटन हेतु उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग द्वारा जनपदीय अधिकारियों से प्राप्त मांगपत्र के आधार पर समेकित प्रस्ताव विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाय।
6. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-30.12.2021 में दिये गये निर्देशानुसार आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।
7. योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
9. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा संभावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
10. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
11. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक-30.12.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 में

लेखाशीर्ष: 2403001060300 (राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	01 वेतन	8,96,22,000 (रुपये आठ करोड़ छियानबे लाख बाईस हजार मात्र)
2	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	02 मजदूरी	2,05,67,000 (रुपये दो करोड़ पांच लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	03 मंहगाई भत्ता	3,31,60,000 (रुपये तीन करोड़ इकतीस लाख साठ हजार मात्र)
4	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	04 यात्रा व्यय	5,33,000 (रुपये पांच लाख तैंतीस हजार मात्र)
5	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	67,000 (रुपये सड़सठ हजार मात्र)
6	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	06 अन्य भत्ते	12,000 (रुपये बारह हजार मात्र)
7	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	08 कार्यालय व्यय	4,99,000 (रुपये चार लाख निन्यानवे हजार मात्र)
8	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	09 विद्युत देय	55,35,000 (रुपये पचपन लाख पैंतीस हजार मात्र)
9	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	10 जलकर / जल प्रभार	1,17,000 (रुपये एक लाख सत्रह हजार मात्र)
10	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी	11 लेखन सामग्री और	3,93,000 (रुपये तीन लाख तिरानवे हजार

		प्रक्षेत्र	फार्मों की छपाई	मात्र)
11	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,88,000 (रुपये पांच लाख अट्ठासी हजार मात्र)
12	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	13 टेलीफोन पर व्यय	1,05,000 (रुपये एक लाख पांच हजार मात्र)
13	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	28,67,000 (रुपये अट्ठाईस लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6,30,000 (रुपये छह लाख तीस हजार मात्र)
15	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	88,000 (रुपये अट्ठासी हजार मात्र)
16	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	30,83,000 (रुपये तीस लाख तिरासी हजार मात्र)
17	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	29 अनुरक्षण	21,73,000 (रुपये इक्कीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)
18	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	39 औषधि तथा रसायन	12,83,000 (रुपये बारह लाख तिरासी हजार मात्र)
19	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	40 औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	13,000 (रुपये तेरह हजार मात्र)
20	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	42 अन्य व्यय	5,85,000 (रुपये पांच लाख पचासी हजार मात्र)
21	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	4,80,08,000 (रुपये चार करोड़ अस्सी लाख आठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	45 अवकाश यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
23	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,67,000 (रुपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
24	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3,58,000 (रुपये तीन लाख अट्ठावन हजार मात्र)
25	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	49 चिकित्सा व्यय	4,67,000 (रुपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
26	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	51 वर्दी व्यय	7,000 (रुपये सात हजार मात्र)
27	015	2403001060300 राज्य पशुधन एवं कृषि सम्बन्धी प्रक्षेत्र	55 मकान किराया भत्ता	17,82,000 (रुपये सत्रह लाख बयासी हजार मात्र)
	कुल			**21,27,59,000** **(रुपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख उनसठ हजार मात्र)**

महायोग	21,27,59,000 (रुपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख उनसठ हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-41/2022/466(1)/सैंतीस-2-2022- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।